

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :- 85-राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून 0135-2740391 ईमेल-ccfhrd-forest-uk@nic.in
 वनादेश संख्या **29** /1-12(6) देहरादून, दिनांक **05** नवम्बर 2022.

पदोन्नति आदेश

इस कार्यालय की पत्र संख्या 137/1-12(6) दिनांक 25.07.2022 द्वारा वन दरोगा से उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की प्रथम बैठक दिनांक 27.07.2022 में समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निम्न वन दरोगा वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 रू0 29200-92300 के कार्मिक की उप वन क्षेत्राधिकारी के वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 रू0 35,400-1,12,400 में कॉलम संख्या-05 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है:-

क्र० सं०	दि० 01.07.22 पर आधारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कार्मिक का नाम	वृत्त का नाम	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	84	सुन्दर लाल	पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।	01 जुलाई 2023

उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में तैनात वृत्त के अधीन तैनाती वन प्रभाग/कार्यालय में ही अपना योगदान पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि से देना सुनिश्चित करें। पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्मिक के योगदान देने के फलस्वरूप किसी वन प्रभाग में आवंटित उप वन क्षेत्राधिकारियों के पद से अधिक कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित वन संरक्षक द्वारा वृत्त में आवंटित उप वन क्षेत्राधिकारियों के पदों के सापेक्ष उक्त अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती/समायोजन किया जायगा। इसी प्रकार वृत्त में आवंटित पदों से अधिक कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने मण्डल के अंतर्गत पदों पर तैनाती/समायोजन किया जाएगा। यदि इसके बावजूद आवंटित पदों से अधिक पदों पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में कार्मिकों के अंतरमण्डलीय समायोजन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित की जाय। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पदोन्नति पर योगदान के 01 माह के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित करें। उप वन क्षेत्राधिकारियों के आवंटित पदों पर समायोजन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रोन्नत उप वन क्षेत्राधिकारी का राज्य में उप वन क्षेत्राधिकारियों के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रोन्नत वेतन आहरित किया जायगा।

उपरोक्त कार्मिक की पदोन्नति पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

Signed by Manoj Chandran
Date: 03-11-2022 18:06:09

(मनोज चन्द्रन)
 मुख्य वन संरक्षक

पत्रांक 1/9087/2022 (1) / 1-12(6) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
3. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।
7. आईटी0 प्रकोष्ठ, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

ITAC
वेबसाईट अपलोड
को
द्वारा
03/11/22